**सं. जेड-14014/2/2024-जीसी एण्ड पार्लि.(ई-3013743)**

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

**(भूमि संसाधन विभाग)**

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 11 मार्च, 2024

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: फरवरी, 2024 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को फरवरी, 2024 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

**संलग्नकः यथोक्त।**

विजय कौशिक

**(विजय कौशिक)**
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063160

**सेवा में,**

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य।

**प्रतिलिपि प्रेषित:-**

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
2. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

**प्रतिलिपि सूचनार्थः**

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

**फरवरी, 2024के दौरान भूमि संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार**

1. भूमि संसाधन विभाग ने **"भूमि प्रबंधन आधुनिकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण"** विषय पर **भूमि संवाद VIII-** राज्य राजस्व/रजिस्ट्रीकरण सचिवों एवं पंजीयन महानिरीक्षकों का दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 8 और 9 फरवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण सहित भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण में राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करना था। बैठक की अध्यक्षता श्री गिरिराज सिंह, माननीय ग्रामीण विकास एव पंचायती राज मंत्री ने की। माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास एवं इस्पात), माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) और माननीय राज्य मंत्री (पंचायती राज) उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व और रजिस्ट्रीकरण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों ने सम्मेलन में भाग लिया।

2. विभाग ने **डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाई** पर राज्यों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 01 फरवरी, 2024 को समीक्षा बैठक की, जिसमें किए गए व्यय, स्प्रिंगशेड विकास, एमआईएस और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। सचिव (भूमि संसाधन) ने दिनांक 15 फरवरी, 2024 को **उत्तर प्रदेश में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0** की प्रगति की समीक्षा की।

3. सचिव (भूमि संसाधन) ने डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत **स्प्रिंगशेड विकास** पर दिनांक 21 फरवरी, 2024 को एकीकृत अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की । माह के दौरान **शूल-रहित कैक्टस की खेती** पर राज्यों के साथ दो समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। सचिव (भूमि संसाधन) ने **रिवार्ड कार्यक्रम** पर वर्ल्ड बैंक, एनआरएए और संबंधित राज्यों के साथ दिनांक 6 फरवरी और 16 फरवरी, 2024 को दो बैठकें लीं।

4. **पीएम-गति शक्ति पोर्टल में भूकर मानचित्रों** की बुनियादी थीमैटिक लेयर प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए दिनांक 29.02.2024 को सचिव(एलआर) द्वारा बीआईएसएजी-एन टीम के साथ विचार-विमर्श किया गया।

5. **ई-न्यायालयों के साथ भूमि अभिलेख डाटाबेस के एकीकरण** के प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 28.02.2024 को उच्चतम न्यायालय की ई-न्यायालय समिति के सदस्यों के साथ अपर सचिव (एलआर) द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। अपर सचिव (एलआर) ने दिनांक 13.02.2024 को **बी-रेडी फ्रेमवर्क** के बारे में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

6. **राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली** (एनजीडीआरएस) के संबंध में, राजस्थान राज्य ने संपत्ति लेन-देन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के डाटा को फरवरी, 2024 माह में एपीआई के माध्यम से एनजीडीआरएस (अथवा ई-रजिस्ट्रीकरण) के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ साझा करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार, कुल 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनजीडीआरएस प्रणाली में शामिल हो गए है।

7. **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** के तहत, 66 सीमावर्ती गांवों को वाटरशेड प्रबंधन/स्प्रिंगशेड कार्यकलापों के साथ जोड़ा जाना है। विभाग द्वारा, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजना के तहत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल गांवों में हुई प्रगति के बारे में अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ दिनांक 26 फरवरी, 2024 को वीसी बैठक का आयोजन किया गया।

8. विभाग के कर्मचारियों के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 13.02.2024 को **"ई-वेस्ट का सुरक्षित निपटान"** विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस माह के दौरान विभाग द्वारा "ई-बिलिंग का कार्यान्वयन" विषय पर कर्मचारियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

9. **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 योजना** के तहत, वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान 1750.00 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की तुलना में 1289.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

10. **डीआईएलआरएमपी योजना** के तहत, वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान 125.00 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की तुलना में 107.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

i. भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण - 6.56 लाख गांवों में से 6.24 लाख गांवों (95%) में पूरा किया गया ।

ii. रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण - कुल 5,326 एसआरओ में से 5,061 एसआरओ (95%) में पूरा किया गया।

iii. मानचित्रों का डिजिटलीकरण - कुल 3.02 करोड़ भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पन में से 2.52 करोड़ भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पन (83%) का डिजिटलीकरण किया गया।

iv. राजस्व और रजिस्ट्रीकरण का एकीकरण - कुल 5,326 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में से 4,670 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों (88%) में पूरा किया गया।

*****